

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या *79
दिनांक 04 दिसंबर, 2025 को उत्तरार्थ

.....

आंध्र प्रदेश को शामिल करते हुए नदियों को जोड़ने संबंधी परियोजनाएं

*79. श्री अप्पलनायडू कल्लिसेट्टी:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) आन्ध्र प्रदेश को शामिल करते हुए नदियों को जोड़ने वाली परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा नदियों के परियोजना घटकों के नाम, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) की स्थिति, अनुमोदन की स्थिति और कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति का परियोजना-वार ब्यौरा क्या है;
- (ख) विगत पांच वर्षों के दौरान ऐसी प्रत्येक परियोजना के लिए वर्ष-वार कितनी धनराशि स्वीकृत, आवंटित और जारी की गई तथा उपयोग में लाई गई और इसमें केन्द्र सरकार और राज्य सरकार का हिस्सा कितना रहा है;
- (ग) प्रत्येक परियोजना के लिए मूल रूप से क्या समय-सीमा अनुमोदित की गई है, क्या इसमें कोई संशोधन किए गए हैं और प्रशासनिक, वित्तीय, भूमि अधिग्रहण, पर्यावरणीय स्वीकृति अथवा अंतर्राज्यीय समन्वय संबंधी मुद्दों सहित विलम्ब, यदि कोई हो, के क्या कारण हैं;
- (घ) आन्ध्र प्रदेश को इन परियोजनाओं से अतिरिक्त सिंचाई क्षमता के सृजन, योजनाबद्ध पेयजल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण सहित कितना लाभ होने की संभावना है और इससे कितने जिलों के लाभान्वित होने की संभावना है; और
- (ङ) क्या सरकार को आन्ध्र प्रदेश से नदियों को जोड़ने की अन्य परियोजनाओं के लिए कोई लंबित, संशोधित या नए प्रस्ताव या विस्तृत परियोजना रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे प्रत्येक प्रस्ताव के मूल्यांकन और अनुमोदन की वर्तमान स्थिति क्या है?

उत्तर

जल शक्ति मंत्री
(श्री सी आर पाटील)

(क) से (ङ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

“आंध्र प्रदेश को शामिल करते हुए नदियों को जोड़ने संबंधी परियोजनाएं” के संबंध में दिनांक 04.12.2025 को लोक सभा में उत्तर के लिए देय तारांकित प्रश्न सं .*79 के भाग (क) से (ड) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क): भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (एनपीपी) तैयार की गई है, जिसके अंतर्गत देश भर में जल की कमी को दूर करने और सिंचाई सुविधाओं को बढ़ाने के लिए नदियों को आपस में जोड़ने (आईएलआर) की 30 परियोजनाओं को चिन्हित किया गया है। राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (एनडब्ल्यूडीए) को इस एनपीपी के अंतर्गत आईएलआर परियोजनाओं के कार्यान्वयन का दायित्व सौंपा गया है। आंध्र प्रदेश राज्य को शामिल करने वाली 7 आईएलआर परियोजनाएँ हैं, जिनका विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है।

इनमें से, गोदावरी (पोलावरम)-कृष्णा (विजयवाड़ा) लिंक परियोजना राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (1980) के प्रायद्वीपीय घटक के अंतर्गत आने वाली लिंक परियोजनाओं में से एक है। इस परियोजना की व्यवहार्यता रिपोर्ट सितंबर 1999 में एनडब्ल्यूडीए द्वारा तैयार की गई थी। इसके बाद, आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा इंदिरासागर पोलावरम परियोजना के अंतर्गत इस लिंक को अपने अधीन ले लिया गया और केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) को वर्ष 2005 में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) प्रस्तुत की गई। दायीं मुख्य नहर के माध्यम से 4666 एमसीएम जल के डायवर्जन के लिए डीपीआर को वर्ष 2009 में मंजूरी दी गई।

आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद, यह लिंक, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के अंतर्गत घोषित पोलावरम सिंचाई राष्ट्रीय परियोजना के एक भाग के रूप में, पोलावरम परियोजना प्राधिकरण के अधीन आ गया। लिंक नहर में जल की कनेक्टिविटी स्थापित कर दी गई है और लिफ्ट व्यवस्था के माध्यम से नहर को अस्थायी रूप से चालू भी कर दिया गया है।

उपरोक्त के अलावा, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश से संबंधित कोई भी आईएलआर परियोजना कार्यान्वयन के चरण तक नहीं पहुंची है।

(ख): पोलावरम सिंचाई परियोजना (पीआईपी), जिसमें गोदावरी (पोलावरम)-कृष्णा (विजयवाड़ा) लिंक परियोजना भी शामिल है, को आंध्र प्रदेश राज्य में कार्यान्वित किया जा रहा है और इसे भारत सरकार से निरंतर वित्तीय सहायता मिल रही है। वर्ष 2014 से 2024 के बीच, राज्य सरकार को 15,146 करोड़ रुपए की राशि प्रतिपूर्ति की गई। भारत सरकार ने परियोजना को

समय पर पूरा करने के लिए 12,157 करोड़ रुपए की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता के साथ 30,436 करोड़ रुपए के संशोधित लागत अनुमान को मंजूरी दी। पोलावरम सिंचाई परियोजना के लिए आंध्र प्रदेश राज्य को अब तक दी गई संचयी केंद्रीय सहायता/वित्तीय सहायता 20,658 करोड़ रुपए है।

(ग) और (घ): इस संबंध में विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है।

(ङ): आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा पोलावरम-बनकचेरला लिंक परियोजना की पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट (पीएफआर) प्रस्तुत की गई है, जिसमें पोलावरम बांध से बनकचेरला नियामक तक बाढ़ के जल को अंतरित करने की परिकल्पना की गई है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 81,900 करोड़ रुपए है। केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) को तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन के लिए 22 मई 2022 को पीएफआर प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत पीएफआर को कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड (केआरएमबी), गोदावरी नदी प्रबंधन बोर्ड (जीआरएमबी), पोलावरम परियोजना प्राधिकरण (पीपीए) हैदराबाद, और तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ओडिशा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे सह-बेसिन राज्यों को उनके विचारों/टिप्पणियों के लिए भेज दिया गया है।

अनुलग्नक

“आंध्र प्रदेश को शामिल करते हुए नदियों को जोड़ने संबंधी परियोजनाएं” के संबंध में दिनांक 04.12.2025 को लोक सभा में उत्तर के लिए देय तारांकित प्रश्न सं. *79 के भाग (क) से (ड) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

आंध्र प्रदेश को लाभान्वित करने वाली आईएलआर परियोजनाओं की स्थिति और लाभ

| क्र. सं. | नाम | लाभान्वित राज्य | वार्षिक सिंचाई (लाख हेक्टेयर) | घरेलू और औद्योगिक (एमसीएम) | जल विद्युत (मेगावाट) | स्थिति |
|----------|---|-----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------|---|
| 1. | क. महानदी (मणिभद्र)- गोदावरी (डोलेश्वरम) लिंक | आंध्र प्रदेश (एपी) और ओडिशा | 4.43 | 802 | 445 | व्यवहार्यता रिपोर्ट पूर्ण |
| | ख. महानदी (बारामूल) - ऋषिकुल्या - गोदावरी (डोलेश्वरम) का वैकल्पिक लिंक | ओडिशा | 3.52 | 493.70 | 210 | |
| | | एपी | 0.91 | 91.3 (पेयजल) और 115 (औद्योगिक) | | व्यवहार्यता रिपोर्ट पूर्ण |
| 2. | गोदावरी (पोलावरम) - कृष्णा (विजयवाड़ा) लिंक | एपी | 1.29 | 33.41 | 960 | परियोजना को, डीपीआर तैयार करने और कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकार |

| | | | | | | |
|----|---|-----------------|--------------|----------------|-----------|---|
| | | | | | | द्वारा लिया गया था। अब इसे पीपीए द्वारा राष्ट्रीय परियोजना के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है। |
| 3. | गोदावरी (इंचमपल्ली/एसएसएमपीपी) - कृष्णा (पुलिचिंताला) लिंग | तेलंगाना एपी | 0.36 4.38 | 26.28 319.7 | 90 --- | डीपीआर पूर्ण |
| 4. | क) कृष्णा (नागार्जुनसागर) - पेन्नार (सोमासिला) लिंग | एपी | 1.68 | 124 | 90 | व्यवहार्यता रिपोर्ट पूर्ण |
| | ख) जीसी लिंग के तहत वैकल्पिक: कृष्णा (नागार्जुनसागर) - पेन्नार (सोमासिला) लिंग | एपी | 1.71 | 236 | 40 | डीपीआर पूर्ण |
| 5. | कृष्णा (श्रीशैलम) - पेन्नार लिंग | एपी | 1.79 | 58 | 11 | डीपीआर पूर्ण |
| 6. | कृष्णा (अलमट्टी) - पेन्नार लिंग | कर्नाटक | 0.69 | 66.31 | | |

| | | | | | | |
|----|---|----------|------|--|----|------------------------------|
| | | एपी | 1.57 | 10.1 (पेयजल) और 22.3 (औद्योगिक) | -- | डीपीआर पूर्ण |
| 7. | क) पेन्नार (सोमासिला) - कावेरी (ग्रैंड एनीकट) लिंक | एपी | 0.49 | 1105 | -- | व्यवहार्यता रिपोर्ट पूर्ण |
| | | तमिलनाडु | 4.36 | | | |
| | | पुदुचेरी | 0.06 | | | |
| | ख) पेन्नार (सोमासिला) - कावेरी (ग्रैंड एनीकट) वैकल्पिक लिंक | एपी | 0.51 | 43 | | डीपीआर पूर्ण |
| | | तमिलनाडु | 1.14 | 618 | | |
| | | पुदुचेरी | -- | 62 | | |
